कार्यालय प्राचार्य,
मोहन लाल जैन (मोहन भैय्या)
शासकीय महाविद्यालय खुर्सीपार, भिलाई जिला - दुर्ग (छ.ग.)
(पूर्व नाम :– शासकीय नवीन महाविद्यालय, खुर्सीपार, भिलाई)
Web site ;- www.mljgck.ac.in **E-Mail ID :- govt.newcollegekhursiparbhilai@gmail.com**

क्रं. 415/2025 खुर्सीपार दिनाँक 03/11/2025

//अतिथि व्याख्याता द्वारा अध्यापन व्यवस्था हेतु विज्ञापन//

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर का आदेश क्रं. 289/01/आउशि/राज. स्था/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23.07.2025 के निर्देशों के परिपालन में छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ–3–54/स्था/2020/38–1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20/06/2024 द्वारा पारित अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अनुसार मोहन लाल जैन (मोहन भैय्या) शास. महाविद्यालय, खुर्सीपार, भिलाई जिला–दुर्ग (छ.ग.) में राजनीतिविज्ञान विषय में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन **दिनांक 08.11.2025 को सायं. 05:00 बजे** तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। सम्पूर्ण योग्यता तथा चयन प्रक्रिया '' अतिथि व्याख्याता नीति 2024'' के परिपालन में किया जाएगा। अतिथि व्याख्याता नीति का अध्ययन इस विज्ञप्ति के साथ महाविद्यालय के सूचना पटल/वेबसाइट https:/www.mljgck.ac.in से किया जा सकता है। ये नियुक्तियां शासन द्वारा प्रसारित नियम के तहत् ही होंगी।

विषय/पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

रिक्त पदों का विवरण

क्रं.	विषय	सहायक प्राध्यापक
1.	राजनीतिविज्ञान	01

टीपः– संबधित विषय में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूध कार्यरत् अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

नियम एवं शर्ते :–

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम फिल/पी–एच.डी. एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
02. दिनांक 08.11.2025 तक कार्यालयीन समय मे डाक के माध्यम से अथवा स्वंय उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं प्राप्त आवेदन को गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नही किया जावेगा।
03. अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी ।
04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन कर महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा । वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।
05. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं हैं। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अद्धशासकीय सेवा में नही है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नही पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नही की गई है ।
06. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपथित नहीं होता है, तो उसे दिशा मे अगले चरणों में सम्मिलित नही किया जाएगा।
07. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नही होगा।

08. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :-

क्रं.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40–45 मिनट के व्याख्यान के लिये			
1	40–45 मिनट के व्याख्यान के लिये	400 / –	300 / –
2	चार कालखंण्डो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600 / – (41,600 / – प्रतिमाह अधिकतम)	1200 / – (30,000 / – प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	500 / –	350 / –
4	चार कालखंण्डो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000 / – (50,000 / – प्रतिमाह अधिकतम)	1400 / – (35,000 / – प्रतिमाह अधितम)

09. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य, मोहन लाल जैन (मोहन भैय्या) शास. महाविद्यालय, खुर्सीपार, भिलाई एवं आवेदित विषय / पद आवश्यक रूप से लिखे ।

10. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्यता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नही माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगें।

11. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी , जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

12. इन्हें सर्वत्र अुनशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

13. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम , क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन , नैक मूल्यांकन संबंधी कार्य मे ये सहयोग प्रदान करेंगें।

14. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र् में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवांए तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

(डॉ. बलजीत कौर)
प्राचार्य
मोहन लाल जैन (मोहन भैय्या) शास.
महाविद्यालय, खुर्सीपार, भिलाई जिला–दुर्ग
(छ.ग.)

पृष्ठा. क्र. 416 / स्था / 2025 खुर्सीपार दिनाँक 03 / 11 / 2025

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लाक सी – 30 द्वितीय / तृतीय तल इंद्रावति भवन नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग परिसर दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य (अग्रणी) व्ही.वाय.टी. स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
4. माननीय संपादक महोदय जी, अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
5. समिपस्थ महाविद्यालयों की ओर अपने महाविद्यालय के सूचना पटल में चस्पा करने हेतु।

(डॉ. बलजीत कौर)
प्राचार्य
मोहन लाल जैन (मोहन भैय्या) शास.
महाविद्यालय, खुर्सीपार, भिलाई जिला–दुर्ग
(छ.ग.)